बिड संख्या/Bid Number: GEM/2026/B/7065219

दिनांक /Dated: 03-01-2026

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	19-01-2026 20:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	19-01-2026 20:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	30 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Uttar Pradesh
विभाग का नाम/Department Name	Cane Development (ganna Vikas Vibhag) Department Uttar Pradesh
संगठन का नाम/Organisation Name	N/a
कार्यालय का नाम/Office Name	Deputy Cane Commissioner Gorakhpur Zone
वस्तु श्रेणी /Item Category	Financial Audit Services - Audit report, Financial Reporting Framework; CA Firm
अनुबंध अवधि /Contract Period	1 Year(s)
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1

बिड विवरण/Bid Details	
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
अनुमानित बिड मूल्य /Estimated Bid Value	500000
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%)/ePBG Percentage(%)	5.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	12

(a).ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance securityshould be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

Dy CC Gorakhpur
Deputy Cane Commissioner Gorakhpur Zone, Cane Development (Ganna Vikas Vibhag) Department Uttar Pradesh, N/A,
(Yashpal Singh)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance	Yes

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	No

1. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा/Additional Qualification/Data Required

Financial Audit Services - Audit Report, Financial Reporting Framework; CA Firm (1)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
कोर / Core	
Scope of Work	Audit report , Financial Reporting Framework
Type of Financial Audit Partner	CA Firm
Type of Financial Audit	Internal Audit
Category of Work under Financial Audit	Audit of financial statements , Deterring , Internal control of financial , Compliance with law & regulations , Internal Control over Financial Reporting , Risk Management
Type of Industries/Functions	Sales, Services and Revenue , Purchase & Procurement , Human Resource & Payroll , Cash and Bank Balance
Frequency of Progress Report	Monthly
MIS Reporting for Financial Audit support	Yes
Frequency of MIS reporting	Monthly
State	NA
District	NA
एडऑन /Addon(s)	
Post Financial Audit Support	NA

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer	No

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	संसाधनों की मात्रा / To be set as 1	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
1	Sanjay Kumar Vishwakarma	273010,Deputy Cane Commissioner Office near RSM school Divya Nagar vistar Gorakhpur	1	N/A

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Generic**

   OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

2. **Buyer Added Bid Specific ATC**

   Buyer uploaded ATC document Click here to view the file.

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for attached categories, trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)

9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii)(h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
16. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
17. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions, conditons stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms

of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---

ई–निविदा आमंत्रण

गोरखपुर परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समितियों, गन्ना विकास परिषदों तथा जिला एवं परिक्षेत्र स्तर के चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट फर्म के चयन हेतु अधोलिखित विवरण/नियम एवं शर्तों के अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से ई– निविदा एतद्द्वारा आमंत्रित की जाती है।

Selection criteria for engaging Internal Auditors for Cane Societies and Council.

SL No.	CRITERIA	BASIS OF MARKS	MAXIMUM MARKS
1	**Experience of the Firim:** Firm should be empaneled with CAG and the minimum experience is 7 years as on 01.04.2025	1 mark per year above 7 years of experience (fraction of the year to be ignored)	**10**
2	**Peer Review:** Peer Review Certificate of the firm given by the Institute of Chartered Accountants of India	5 marks	**5**
3	**Similar work Experience:** The firm must have carried out and completed similar assignments in last 3 Financial Years in internal audit of PSU/Society/Trust or any Autonomous Body.	5 marks per year of audit above 3 Years having similar nature work Experience	**15**
4	**Number of Partners:** The firm should have at least three FCA Parterres having experience of minimum 10 years as on 01.04.2025 and continuing thereafter.	Above 3 FCA Partners 3 marks for each partner who is ACA (Associate Chartered Accountant) 5 marks for each partner who is FCA (Fellow Chartered Accountant)	**10**
5	**(a) DISA/CISA Qualification:** The firm should have at least One full-time partners having DISA/CISA Qualified who is in the firm as on 01.04.2025 and continuing thereafter.	2 marks for each partner having DISA/CISA	**5**
6	**Turnover of Firm:** Average Turnover of Firm for last 3 financial years: (2022-23, 2023-24 and 2024-25)	Up to 30 lakh-4 Marks 30 Lakh to 60 lakh-8 Marks 60 Lakh to 80 lakh-12 Marks 80 Lakh te 100 lakh-16 Marks More than 100 lakh-20 Marks	**20**
7	**Location:** Audit firms having Registered Office/Branch Office as on 01.04.2025 and continuing thereafter.	Registered Office/Branch Office located within division: 5-Marks Registered Office/Branch Office located outside the division: 2-Marks	**5**
8	**Audit Methodology** What Audit Methodology Firm will adopt specifically for conducting the Internal Audit of the UP-Cane Development Society and the UP-Cane Development Council.	Understanding of Scope of Work-5 Marks Approach & Methodology-10 Marks Presentation & Clarity-5 Marks Past Experience Reference -10 Marks	**30**
Total			**100**
1. To Qualify for Assignment: A CA firm must score at least Minimum Marks **2. Qualifying firm should not score ZERO in any criteria.**		**Minimum Marks - 60 Marks**	

गोरखपुर परिक्षेत्रान्तर्गत कुल 04 जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय (गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती/संतकबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर) कुल 16 सहकारी गन्ना विकास समितियॉ व 12 गन्ना विकास परिषदें क्रियाशील हैं। गन्ना समितियों एवं परिषदों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है–

क्र. सं.	जनपद का नाम	गन्ना समितियॉ			गन्ना परिषद/कमेटी		
		श्रेणी "C"	श्रेणी "D"	कुल	श्रेणी "C"	श्रेणी "D"	कुल
01	02	03	04	05	06	07	08
01	गोरखपुर	0	3	3	0	2	2
02	महराजगंज	1	3	4	1	3	4
03	बस्ती/संतकबीरनगर	5	3	8	3	3	6
04	सिद्धार्थनगर	0	1	1	0	0	0
योग–		**6**	**10**	**16**	**4**	**8**	**12**

चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट फर्म का चयन की नियम एवं शर्तें

01 गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद स्तर पर–

1. प्रत्येक गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, समिति/परिषद आउटसोर्स लेखाकार एवं समिति/परिषद के लेखाकार/प्रभारी लेखाकार को मिलाकर एक समिति/परिषद स्तरीय आडिट पैनल गठित किया जायेगा। सामान्यतः चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की 01 फर्म को यथासम्भव/यथायोग्य 01 जिले की 03 गन्ना समितियों एवं 03 गन्ना विकास परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु नामित किया जायेगा। यदि जिले में समितियों/परिषदों की संख्या 03/03 से कम है, तो निकटवर्ती जिले की समिति/परिषद को भी सम्मिलित किया जा सकता है, तथा यदि उस जिले में गन्ना समितियों/परिषदों की संख्या 03/03 से अधिक है तो उनके लिए पृथक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म योजित की जायेगी। सी.ए. फर्म को आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु मिली–जुली ग्रेड की गन्ना समितियॉ/परिषदें आवंटित की जायेंगी।

2. नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 03 कार्य दिवस (C श्रेणी की संस्थाओं में कम से कम 02 कार्य दिवस तथा D श्रेणी की गन्ना समिति/परिषद में कम से कम 01 कार्य दिवस) कार्यालय में उपस्थित रहकर, समस्त वित्तीय रिकार्डों व लेखांकन प्रक्रियाओं विशेषकर पाक्षिक रूप से प्रत्येक बैंक खाते के किये गये बैंक समाधान की व्यवस्थित समीक्षा/जॉच (भौतिक व एस.जी.के. पोर्टल पर) की जायेगी एवं साथ ही एस.जी.के. माड्यूल 04 व 05 पर सम्बन्धित गन्ना समितियों/परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्टस् की समीक्षा भी की जायेगी। समीक्षोपरान्त आडिट के दौरान परिलक्षित कमियों/त्रुटियों का निराकरण नियमों के अनुरूप तत्परता से कराया जायेगा।

3. आडिट पैनल द्वारा वाह्य आडिट के अन्तर्गत लेखा परीक्षा, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग के स्तर से प्राप्त होने वाली सामान्य एवं विशेष आडिट आपत्तियों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी समिति में किन्हीं कारणवश कई वर्षों से वाह्य लेखा परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी हो तो, उन समितियों की आन्तरिक लेखा परीक्षा उक्त सी.ए. फर्म से करायी जायेगी, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त मानदेय भी देय होगा।

4. परीक्षणोपरान्त यदि कोई गम्भीर त्रुटियॉ, अनियमिततायें या दुर्विनियोग का प्रकरण उजागर/परिलक्षित होता है या किसी गम्भीर वित्तीय दुराचार या कदाशयता की स्थिति संदेहप्रद होती है, तो उसे Red Flag कर सम्बन्धित सचिव एवं जिला गन्ना अधिकारी के संज्ञान में लाते हुए, समयान्तर्गत निस्तारण कराया जायेगा।

5. सी.ए. फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपनी आडिट रिपोर्ट सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर को संस्तुति सहित अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से आनलाइन एवं ई–मेल के माध्यम से आफलाइन प्रस्तुत की जायेगी। इसके अतिरिक्त सी.ए. फर्म द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद की लेखापरीक्षित संकलित वार्षिक आडिट रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित सीधे मुख्यालय को उपर्युक्तानुसार आनलाइन एवं आफलाइन भी प्रेषित की जायेगी।

02 जिला स्तर पर–

01. जिला स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, आउटसोर्स लेखाकार एवं जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय का कोई 01 भिज्ञ लेखा लिपिक सहित जिला स्तरीय आडिट पैनल का गठन किया जायेगा।

02. उक्त आडिट पैनल द्वारा जिला गन्ना अधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रैमासिक रूप से अधीनस्थ गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के समस्त बिल वाउचर्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन, मैनुअल एवं एस.जी.के. से तैयार हो रही बैलेन्सशीट, उर्वरक व्यवसाय एवं

प्राविधानित बजट के सापेक्ष व्यय की भौतिक रूप से सत्यापन एवं उपर्युक्त लेखांकन कार्यों का एस.जी.के. के माध्यम से क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी तथा त्रैमासिक रिपोर्ट उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर को प्रेषित की जायेगी। भौतिक अभिलेखीय सत्यापन हेतु जिला गन्ना अधिकारी के स्तर से पूर्व निश्चित तिथि में गन्ना समितियों/गन्ना विकास परिषदों द्वारा अपने समस्त वॉछित वित्तीय रिकार्ड जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।

03. सी.ए. फर्म द्वारा जिले की गन्ना समितियों की लेखा परीक्षा, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग के स्तर से प्राप्त होने वाली सामान्य एवं विशेष आडिट आपत्तियों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जायेगा।

04. प्रत्येक माह में जिला स्तरीय सी.ए. फर्म द्वारा गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की प्राप्त मासिक रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जायेगा एवं साथ ही एस.जी.के. माड्यूल 04 व 05 पर जिले की गन्ना समितियों/परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा भी की जायेगी। समीक्षोपरान्त रिपोर्ट में पायी गयी गम्भीर कमियों/आपत्तियों के आधार पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा नियत की गयी कम से कम 01 गन्ना समिति और 01 गन्ना विकास परिषद का औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा औचक निरीक्षणोपरान्त रिपोर्ट संस्तुति सहित जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी, जिस पर उनके द्वारा अविलम्ब निर्णय लिया जायेगा।

03 परिक्षेत्र (उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर) स्तर पर–

01. परिक्षेत्र स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, आउटसोर्स लेखाकार एवं उप गन्ना आयुक्त कार्यालय के नामित भिज्ञ लेखा लिपिक सहित परिक्षेत्र स्तरीय आडिट पैनल का गठन किया जायेगा।

02. सी.ए. फर्म द्वारा परिक्षेत्र की गन्ना समितियों की लेखा परीक्षा, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें विभाग के स्तर से प्राप्त होने वाली सामान्य एवं विशेष आडिट आपत्तियों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जायेगा।

03. प्रत्येक माह सी.ए. फर्म द्वारा परिक्षेत्राधीन समस्त सहकारी गन्ना विकास समितियों, समस्त गन्ना विकास परिषदों द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट एवं जिला स्तर से प्राप्त त्रैमासिक आडिट रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जायेगा, साथ ही एस.जी.के. माड्यूल 04 व 05 पर गोरखपुर परिक्षेत्र की गन्ना समितियों/परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा भी की जायेगी। समीक्षोपरान्त रिपोर्ट में पायी गयी गम्भीर कमियों के आधार पर उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर द्वारा नियत कम से कम 02 गन्ना समितियों एवं 02 गन्ना विकास परिषदों का मासिक रूप से औचक निरीक्षण करते हुए अपनी आडिट रिपोर्ट उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर को अनिवार्यतः प्रेषित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त तक परिक्षेत्र की समस्त गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की एक बार औचक निरीक्षण अवश्य कराया जायेगा। परिक्षेत्र स्तरीय सी.ए. फर्म द्वारा राज्य मुख्यालय को निरीक्षण की छमाही रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

<u>चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के चयन की शर्तें</u>

01. समस्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का चयन परिक्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर द्वारा नियमानुसार जेम पोर्टल से किया जायेगा। आन्तरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता के दृष्टिगत किसी भी दशा में 01 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को 03/03 से अधिक गन्ना समितियों/ गन्ना विकास परिषदों में नामित नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी एक स्तर के आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को अन्य किसी स्तर पर चयनित नहीं किया जायेगा।

02. सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म सी.ए.जी. (CAG) में पंजीकृत होनी चाहिए। पुष्टि के लिए Latest Empanelment की प्रति अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी।

03. फर्म में कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को The Institute of Chartered Accountants of India द्वारा नवीनतम जारी प्रमाण–पत्र की प्रति प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।

04. किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या उनके किसी पार्टनर का कोई सगा– सम्बन्धी या रिश्तेदार सम्बन्धित गन्ना समिति/परिषद में कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

05. उपर्युक्त आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु सी.ए. फर्म का चयन 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तत्पश्चात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के परफारमेन्स (निर्धारित मानक) के अनुरूप गन्ना आयुक्त/निबन्धक के अनुमोदन के क्रम में चयन कमेटी द्वारा नवीनीकरण करते हुए एक–एक वर्ष का कार्यकाल आगे अधिकतम 05 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पारिश्रमिक दरों का निर्धारण

क्र. सं.	श्रेणी	समिति में नामित (प्रति माह)	परिषद में नामित (प्रति माह)	जिला स्तर पर नामित (प्रति माह)	मण्डल स्तर पर नामित (प्रति माह)
1	2	3	4	5	6
1	C	15,000.00	11,000.00	35,000.00	40,000.00
2	D	10,000.00	8,000.00		

- गन्ना समिति/परिषद हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की फीस सम्बन्धित गन्ना समिति/परिषद द्वारा ही वहन की जायेगी।
- जिला स्तर पर नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की फीस जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन की जायेगी। यदि जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण का गठन न हो अथवा वित्तीय रूप से सक्षम न हो तो, अधीनस्थ गन्ना समितियों/परिषदों से श्रेणी अनुसार अशंदान प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा। अशंदान का निर्धारण चयन कमेटी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- परिक्षेत्र गोरखपुर स्तर पर नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की फीस परिक्षेत्राधीन समस्त गन्ना समितियों/परिषदों से श्रेणी अनुसार अशंदान प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा। अशंदान का निर्धारण चयन कमेटी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमुख कर्त्तव्य और जिम्मेदारियॉ

गन्ना विकास समितियों/परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पादित किये जाने में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें उनके द्वारा वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की सटीकता/शुचिता बनाये रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ विनियमों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा जोखिम प्रबन्धन (Risk Management) के साथ–साथ आन्तरिक सुधार एवं नियंत्रण में मजबूती लाये जाने की सिफारिशें भी प्रदान की जायेंगी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के प्रमुख कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियॉ विस्तृत रूप से अधोलिखित हैं–

01 उपस्थित रहकर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन– चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा गन्ना समिति/परिषद कार्यालयों में उपस्थित रहकर समस्त लेखा रिकार्डों का गहनता से आडिट, वित्त एवं लेखांकन प्रक्रियाओं का मानकों के अनुरूप गहनता से मूल्यांकन, परिचालन दक्षता का आंकलन एवं उनकी सटीकता एवं पारदर्शिता की जॉच की जायेगी। उनके द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों (समिति/परिषद) में अपनी उपस्थिति औपचारिक रूप से एस.जी.के. सिस्टम पर ''पंच–इन, पंच–आउट'' (Punch-In, Punch-out) के रूप में दर्ज करनी होगी। उक्त के अतिरिक्त समितियों/परिषदों/जिला गन्ना अधिकारी कार्यालयों एवं उप गन्ना आयुक्त कार्यालय में तैनात सी.ए. फर्म को अपनी आडिट एवं किये गये कार्यों की रिपोर्ट आनसाइट फीडिंग की सुविधा पोर्टल पर आनलाइन उपलब्ध होगी।

02 जोखिम प्रबन्धन (Risk Management)– वित्तीय विसंगतियों, अपराध, धोखाधड़ी, गबन एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी तथा ऐसे मामलों का पता लगते ही उसके नुकसान की सम्भावना

और नकारात्मक प्रभाव को रोकने/कम करने के लिए तत्परता के साथ तत्काल अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर नियमसंगत कार्यवाही कराते हुए उच्चाधिकारियों को रिपोर्टिंग करनी होगी।

03 गम्भीर वित्तीय मामलों की Red Flagging, Escalation & Time Bound Compliance– कोई गम्भीर वित्तीय प्रकरण, विसंगतियॉ या वर्षों से चले आ रहे ऐसी गम्भीर विशिष्ट आपत्तियॉ/मामले, जो संवेदनशील या संदेहप्रद प्रकट हो रहे हों तथा समिति को आर्थिक क्षति पहुॅचा रहे हों और उनपर तत्काल कार्यवाही (Compliance) अपेक्षित हो, ऐसे मामलों को चिन्हांकित करते हुए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का यह दायित्व होगा कि वह इसकी तत्काल और विधिवत सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को देते हुए इन्हें Red Flag की श्रेणी में दर्ज करें। तत्पश्चात आपत्तियों/मामलों की प्रकृति एवं गम्भीरता के अनुरूप इनके समयबद्ध निराकरण (Time Bound Compliance) हेतु समय निर्धारित कर निराकरण की नियमानुसार कार्यवाही करायेंगे। Red Flagged मामलों के निपटारे में यदि किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बरतना परिलक्षित हुई और मामला/प्रकरण मुख्यालय स्तर पर पहुॅचा, तो प्रकरण में सम्बन्धितों के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की बाध्यता होगी, इसमें पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी कार्यवाही परिधि में होंगे।

04 परामर्शदाता एवं सलाहकार– सी.ए. फर्म द्वारा वित्तीय प्रक्रियाओं, आन्तरिक नियंत्रणों और अनुपालन उपायों को बेहतर बनाने के लिए समुचित निष्कर्ष एवं सिफारिशें प्रदान की जायेंगी। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना निष्कर्ष या सुझाव देने, समिति/परिषदीय कार्मिकों एवं अधिकारियों से कार्यावधि में सहजता से वार्ता एवं संवाद हेतु प्रभावी संचार दुरूस्त रखते हुए मोबाइल वार्ता या वाह्ट्स–एप (WhatsApp) ग्रुप के माध्यम से भी आपत्तियों का निराकरण करने के साथ–साथ कार्मिकों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र स्तर पर वाह्ट्स–एप (WhatsApp) ग्रुप के माध्यम से वित्तीय शंकाओं का समाधान यथाशीघ्र किया जायेगा।

आडिट के दौरान परीक्षण हेतु मुख्य बिन्दु (Scope of Work)

लेखा एवं बैंकिंग नियंत्रण–

01. कार्यों का कार्मिकवार आवंटन, जिसमें फीडिंग करने वाला (Maker), परीक्षणकर्ता (Checker) और स्वीकृतकर्ता (Approer) अलग–अलग होना चाहिए।

02. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त बाउचर्स के सत्यापित होने की स्थिति।

03. गन्ना निवेश एप के माध्यम से क्रय–विक्रय एवं अवशेष स्टाक की प्रविष्टियों के मिलान की स्थिति।

04. कैशबुक एवं लेजर के दैनिक रूप से अद्यतन किये जाने तथा उनका बाउचर्स व बैंक विवरणों (Bank Statement) से मिलान।

05. दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (Double Entry System) के अन्तर्गत लेखांकन कार्यों का सम्पादन।

06. गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के संस्थावार लेखा कार्यों का पृथक–पृथक परीक्षण एवं प्रविष्टियों का सत्यापन।

07. एस.जी.के. पोर्टल पर कर्मचारियों के मानव सम्पदा सम्बन्धी प्रविष्टियों के अद्यावधिक होने एवं उनका सत्यापन।

08. कार्मिकों के वेतन घटको एवं बैंक विवरणों का परीक्षण एवं सत्यापन। कार्मिकों के देयकों का Work Flow एवं उन्हें समय से सेवा लाभ दिये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को SMS Alert.

09. कार्मिकों के वेतन घटकों एवं बैंक खाते में परिवर्तन/परिमार्जन हेतु सक्षम अधिकारी का अनुमोदन।

10. फॉर्म 26AS, बैंक प्रमाण पत्रों और खाता बही प्रविष्टियों के साथ ब्याज आय का मिलान।

बैंक सावधि जमा (एफ.डी.आर.)–

01. एफ.डी.आर. विनियोजन के सम्बन्ध में निर्गत अद्यावधिक आदेशों/निर्देशों का अनुपालन।

02. बैंक से FDR Confirmation Certificate प्राप्त किया जाना।

03. एफ.डी.आर. की सुरक्षा– दो नामित अधिकारियों की संयुक्त अभिरक्षा में मूल एफ.डी.आर. का अनुरक्षण।

04. अनुरक्षित एफ.डी.आर. की मूल प्रति का त्रैमासिक भौतिक सत्यापन एवं सत्यापन प्रमाण–पत्र।

05. एफ.डी.आर. हेतु बैंक में धनराशि प्रेषण और बैंक द्वारा एफ.डी.आर. तैयार करने की तिथि।

06. एफ.डी.आर. परिपक्वता (Maturity) एवं पुनः विनियोजन (Re-appropriation) का आडिट करें।

07. एफ.डी.आर. रजिस्टर निर्धारित प्रारूप यथा– एफ.डी.आर. संख्या, बैंक का नाम व शाखा, विनियोजन की तिथि, विनियोजन की धनराशि, विनियोजन की अवधि, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि, परिपक्वता धनराशि आदि के अनुसार तैयार करना एवं विनियोजित एफ.डी.आर. की अद्यावधिक प्रविष्टि का परीक्षण।

08. ब्याज पर काटे गये टीडीएस (TDS) का दावा खातों में प्राप्य (Recoverable) के रूप में प्रदर्शित किया जाना।

09. एफ.डी.आर. के समयपूर्व भुनाने (Premature encashment) की स्थिति में उचित कारण एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होना एवं भुनायी गयी धनराशि का निर्धारित मद में ही खर्च किये जाने की स्थिति।

10. कैशबुक एवं लेजर में एफ.डी.आर. विनियोजन का विवरण अंकित किया जाना तथा परिपक्वता उपरान्त प्राप्त धनराशि से उसका मिलान किया जाना।

नकदी और बैंक नियंत्रण (Cash & Bank Controls)–

01. नकदी और चेक बुक की संयुक्त अभिरक्षा की पुष्टि।

02. चेक जारी करने वाले रजिस्टर में रद्द किये गये चेकों का सत्यापन।

03. खोये हुए चेकों के लिये एफ.आई.आर. दर्ज कराने की स्थिति।

04. गन्ना विकास अशंदान प्राप्त करने हु आर.टी.जी.एस. प्रणाली के उपयोग करने की स्थिति।

05. बैंक खाता खोलने के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति।

06. बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement)– सभी बैंक खातों के मासिक समाधान विवरण (भौतिक एवं एस.जी.के. पोर्टल) एवं उनमें विसंगति की स्थिति, उनके समाधान/निराकरण का उपाय तथा सामान्य बही खाते से उसका मिलान।

07. बैंक बैलेन्स की पुष्टि– मासिक बैंक बैलेन्स की पुष्टि एवं लेजर से मिलान।

08. प्रत्येक बैंक भुगतान प्रविष्टि का मिलान भुगतान के मूल बिल एवं बाउचर्स, जिनमें चेक संख्या, बाउचर क्रमांक, भुगतान का उद्देश्य/बिल विवरण आदि अंकित हो, के साथ किया जाना।

09. फुटकर नकदी (Petty Cash) सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाना।

10. चेक बुक का सुरक्षित रख–रखाव तथा खराब एवं अप्रयुक्त चेकों को ठीक प्रकार रद्द कर सही प्रकार से रखना।

11. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) पर समिति/परिषद के सभी बैंक खातों का खातावार बैलेन्स पुष्टि प्रमाण–पत्र (Bank Balance Confirmation Certificate) प्राप्त कर खातों का मिलान किया जाना।

आदेय दावे (Unpaid Claim) का नियंत्रण–

01. सभी अदेय दावों का एक अलग रजिस्टर (एस.जी.के. और मैनुअल) में उचित विवरण के साथ रख–रखाव एवं बैंक खातों से मासिक मिलान (Reconciliation)।

02. मृत किसान रजिस्टर (Deceased Farmer Ledger) अलग से तैयार हो तथा मृत्यु की पुष्टि अभिलेखों एवं परिवार से प्राप्त जानकारी से करें तथा उसका अपडेशन एस.जी.के. पर देखें।

03. मृत किसानों के भुगतान के लिए आवश्यक अभिलेख यथा– मृत्यु प्रमाण– पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र, किसान आई.डी. और नामित व्यक्ति के आधार कार्ड का मिलान।

04. लम्बित दावे, रजिस्टर में अलग से तैयार हो, जिसके लिए नोटिसें आदि जारी कर उचित फालोअप हो।

05. एक वर्ष से अधिक पुराने दावे सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद Unclaimed Liability Account में स्थानान्तरित किया जाय।

06. अनपेड गन्ना मूल्य भुगतान हेतु जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन।

बजटीय नियंत्रण (Budgetary Controls)–

01. समिति बजट हेतु समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन।

02. यह सुनिश्चित किया जाये कि पोर्टल पर सभी बजट शीर्षक (Budget Head) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा किसी भी ओवररन (Over-run) या अन्तर मद समायोजन (Inter-head Adjustment) की स्थिति में सिस्टम अलर्ट।

गन्ना विकास अंशदान–

01. पेराई सत्र के दौरान पाक्षिक रूप से आपूर्तित गन्ने की मात्रा एवं उसके अनुसार गन्ना विकास अशंदान की गणना।

02. पेराई सत्र की समाप्ति पर कुल आपूर्तित गन्ने की मात्रा का मिलान चीनी मिल अभिलेखों से किया जाना तथा तद्नुसार समिति अशंदान की गणना।

03. गन्ना समिति/परिषद स्तर से दैनिक आपूर्तित गन्ने की सूचना एस.जी.के. पोर्टल पर अपडेट किया जाना।

04. लेखा अभिलेखों में गन्ना विकास अंशदान से आय के विवरण सही प्रकार से अंकित किया जाना।

कृषि निवेश (Agri Inputs) वितरण एवं ऋण नियंत्रण–

01. कृषि निवेश वितरण हेतु पंजीकृत और पात्र सदस्यों को ही क्रेडिट पर वितरित किया जाये। ऐसे सदस्यों को कोई सहायता न दी जाये जिनकी पूर्व देनदारियॉ बकाया है या डिफाल्टर है।

02. प्रत्येक सदस्य को वितरित की गई कृषि निवेश की मात्रा उनके लोन लिमिट, जो कि उनके सत्यापित गन्ना क्षेत्रफल (एस.जी.के. डाटा) के अनुसार हो।

03. आवंटन सूची और अनुमोदन दस्तावेजों की समीक्षा करें, ताकि विवरण न्यायसंगत और पारदर्शी हो।

04. एक उचित ऋण खाता–बही (Loan Ledger) रखी जाये, जिसमें सभी लेनदेन प्रारम्भिक शेष, वितरण, वसूली, ब्याज गणना, पुनर्भुगतान और इतिशेष (Closing Balance) दर्ज हों।

अन्य अभिलेख रख–रखाव (Other Records & Documentation)–

01. नियत मानकों एवं मदों से इतर के अभिलेखों में ''Paid by me'' की स्थिति।

02. डेड स्टाक रजिस्टर में सही प्रारूप पर अद्यावधिक प्रविष्टियॉ एवं उनका सत्यापन।

03. डेड स्टाक में राइट आफ (Right off) नीति के क्रियान्वयन की स्थिति।

04. वित्तीय वर्ष के अन्त में वर्किंग स्अेटमेन्ट एवं सभी बैंक समाधान पूर्ण होने के बाद ही बैलेन्सशीट को अन्तिम रूप दिया जाना।

सामान्य एवं विशेष लेखा परीक्षा (General Audit Procedures)–

01. सामान्य एवं विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निस्तारण कराया जाना।

02. वित्तीय अनियमितताओं या संदिग्ध प्रविष्टियों का विवरण तैयार करना।

03. स्वीकृत बजट, वास्तविक आय एवं व्यय की तुलना।

04. स्वीकृत बजट से आधिक्य व्यय का मिलान एवं रिपोर्ट तैयार करना।

05. अलिखित लेन–देन का विवरण तैयार करना एवं विसंगति दूर कराना।

06. लापरवाही के कारण हुई वित्तीय क्षति।

07. स्वीकृत अग्रिमों के सापेक्ष वसूली।
08. समिति द्वारा वितरित ऋण के बैंक रिक्यूपमेन्ट/वसूली की स्थिति।
09. उत्तरदायी कार्मिक के द्वारा बरते गये गबन/अनियमितता/लापरवाही का अभिलेख तैयार करना।
10. वाह्य लेखा परीक्षा के दौरान सहयोग।
11. समिति एवं परिषद के कार्मिकों को आवंटित कार्य के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करना।
12. सहकारी गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु अन्य कोई सुझाव दिया जाना।

सहकारी गन्ना विकास समितियों/गन्ना विकास परिषदों में आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का यह कर्त्तव्य/दायित्व होगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से व्यवस्थित, अनुशासित एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गन्ना समिति/परिषद के समग्र वित्तीय कार्यकलापों एवं लेखांकन प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का नियमानुरूप मूल्यांकन करेंगे तथा लेखा परीक्षा के दौरान किसी अनियमितता या गबन का प्रकरण उद्घाटित होने पर तत्काल उच्च स्तरों को रिपोर्ट करेंगे।

वर्तमान में गन्ना समितियों/परिषदों का समस्त वित्त एवं लेखा सम्बन्धी कार्य स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल (एस.जी.के.) के माड्यूल 04 एवं 05 के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पादित किया जा रहा है। इसी क्रम में एस.जी.के. पोर्टल पर गन्ना समितियों/परिषदों के ''आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली'' को माड्यूल 04 व 05 के अन्तर्गत यथास्थान विकसित कर समस्त आडिट प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जायेगा, ताकि मैनुअल त्रुटियों को कम करते हुए जोखिम प्रबन्धन के तहत वास्तविक समय में डेटा की निगरानी करने से कमियों/त्रुटियों का त्वरित निराकरण हो सके।

30.12.18

(यशपाल सिंह)

उप गन्ना आयुक्त/उप निबन्धक
सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियॉ
परिक्षेत्र– गोरखपुर